20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

309

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा०/2017/3055

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /I/2017–टीकमगढ़

आशाराम यादव पुत्र श्री छदामी यादव निवासी– ग्राम मलुपुरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....आवेदक

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 31-8-17 को प्रस्तुत 31-8-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. रामदीन पुत्र श्री सरमन अहिरवार निवासी– धर्मपुरा, तहसील पलेरा
2. ग्यासी पुत्र श्री बारेलाल पाल निवासी– धर्मपुरा, तहसील पलेरा
3. मकुन्दी पुत्र श्री अच्छेलाल राजपूत निवासी– ग्राम बराना, तहसील पलेरा समस्त जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश, तहसीलदार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/ए12/2016–17 आदेश दिनांक 17.07.2017 को पारित (में आवेदन पत्र क्रमांक 747/2017)

श्रीमान जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, विवादित आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सीमांकन की कार्यवाही की है में निगरानीकर्ता को बिना सूचना के बिना पक्ष समर्थन के उसकी स्वत्व स्वामित्व की आराजी को अनावेदक के हक में सीमांकन कर दिया है इस सीमांकन के आदेश के खिलाफ अनावेदक ने धारा 250 की कार्यवाही चालू कर दी है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 31-8-2017

आशाराम यादव

... है उस आराजी के चारों तरफ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- एक/निग./टीकमगढ़/भू.रा./2017/3055

आशाराम यादव विरूद्ध रामदीन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार परेला, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये (आर.के. जैन) 09/01/19 सदस्य	